

3 pages



404

190/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

संज्ञासंकेत-8-33

क्र.सं-190/2017

आरबीई सं०-105/2017

सं० ई/213/पीसी/07/1/चार

दिनांक 14-09-2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना/ग्रेड पे में आरपीएफ/आरपीएसएफ के अनुषंगी कर्मचारियों को रखना-स्पष्टीकरण।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० पीसी-VI/2008/1/5/8 दिनांक 30.08.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रेलवे बोर्ड का संदर्भित पत्र दिनांक 03.07.2013 (आरबीईसं०-62/2013) इस कार्यालय के परिपत्र सं० ई/213/पीसी/08/06/भाग-III/चार दिनांक 16.08.2013 (क्रमांक 116/2013) द्वारा पूर्व में परिचारित किया जा चुका है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू० पी० सिंह)

उपमुकाधि/अराज

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर०-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

2
140/2017

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

PC-VI No. 376

RBE No. 105/2017

No. PC-VI/2008/I/5/8

New Delhi, dated: 30.08.2017

**The General Managers,
All Indian Railways & Production Units
(as per mailing list)**

Sub: Placement of Ancillary Staff of RPF/ RPSF in revised pay structure/
grade pay based on the recommendations of 6th CPC - clarification reg.

Ref: Board's letter No. PC-VI/2008/I/5/8 dated 03.07.2013 (RBE No.62/2013)

It has been decided that for those ancillary staff of RPF/ RPSF who had retired or died (while in service)/ resigned/ medically de-categorised in between 01.01.2006 & 03.07.2013; the benefit of Board's above referred letter dated 03.07.2013 may also be extended, provided these RPF/ RPSF personnel would have been retrained but for their having not been in service for undergoing such re-training as on the date of issue of above orders dated 03.07.2013.

2. This issues in consultation with Security Directorate and concurrence of Finance Directorate of this Ministry.



(M. K. Panda)

**Jt. Director, Pay Commission
Railway Board**

No. PC-VI/2008/I/5/8

New Delhi, dated: 30.08.2017

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).



for Financial Commissioner/Railways

3
19/08/2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

पीसी-VI सं. 376

पीसी-VI/2008/11/5/8

आरबीई सं. 105/2017

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

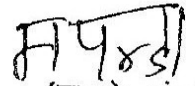
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना/ग्रेड पे में आरपीएफ/आरपीएसएफ के अनुषंगी कर्मचारियों को रखना - स्पष्टीकरण।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 03.07.2013 का पत्र सं. पीसी-VI/2008/आई/5/8 (आरबीई सं. 62/2013)

यह विनिश्चय किया गया है कि आरपीएफ/आरपीएसएफ के वे अनुषंगी कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2006 और 03.07.2013 के मध्य सेवानिवृत्त हो गए हों अथवा जिनकी मृत्यु (सेवा के दौरान) हो गयी हो/जिन्होंने त्यागपत्र दिया हो/मैडिकली विकोटिकृत (de categorized) हो गए हो; उन्हें भी बोर्ड के दिनांक 03.07.2013 के ऊपर उल्लिखित पत्र में दी गयी सुविधाएं प्रदान की जाएं, बशर्ते यदि वे आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मी दिनांक 03.07.2013 के उक्त आदेश जारी होने की तारीख को सेवा में होते तो उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाता।

2. इसे सुरक्षा निदेशालय के परामर्श और इस मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

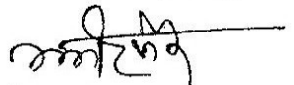

(एम.के. पंडा)

संयुक्त निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

पीसी-VI/2008/11/5/8

नई दिल्ली, दिनांक 30.08.2017

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।


कृते वित्त आयुक्त/रेलवे